



2026:AHC-LKO:10566-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 17/2026**

अनुश्री त्रिवेदी

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ, प्रमुख सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग,

नई दिल्ली के माध्यम से और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रफुल्ल वशिष्ठ, अंकुरी त्रिवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., कृष्ण लाल यादव, योगेश चंद्र भट्ट

न्यायालय सं. - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद पाठक, जिनकी सहायता श्री प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे, एवं विरोधी पक्ष सं. 1- भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण लाल यादव एवं प्रतिवादी सं. 2 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डी. एस. जी. आई. श्री एस.बी. पांडे, जिनकी सहायता श्री योगेश चंद्र भट्ट एवं नीतीश शुक्ला कर रहे थे, को सुना गया एवं अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

2. यह विशेष अपील अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दाखिल की है, जिसमें रिट-ए सं. 12580/2025 (अनुश्री त्रिवेदी बनाम भारत संघ और अन्य) में विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 09.12.2025 के निर्णय और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश को चुनौती दी गई है, क्योंकि इसमें अपीलकर्ता की याचिका को विचारणीय न मानकर खारिज कर दिया गया है।

3. संक्षेप में वाद के तथ्य में ये हैं कि अपीलकर्ता हरदोई में औद्योगिक विकास बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। उसके पति भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ कंपनी में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं और लखनऊ में तैनात हैं। अपीलकर्ता का हरदोई से अलीगढ़ स्थानांतरण हो गया था। क्योंकि यह जगह बहुत दूर थी, इसलिए उसके अनुरोध पर उसे बहराइच में समायोजित किया गया। हरदोई से बहराइच के इस स्थानांतरण आदेश को अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी, जिन्होंने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया। इस प्रक्रिया में, उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय की याचिका सं. **2833/2012 (ऑल इंडिया आई.डी.बी.आई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य)** में दिए गए खण्ड पीठ के निर्णय का हवाला दिया है, जिस पर दिनांक 20.09.2022 को निर्णय हुआ था, जिसमें याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सुनवाई योग्य नहीं माना गया, क्योंकि आई.डी.बी.आई लिमिटेड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं था और वैसे भी यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि आई.डी.बी.आई. लिमिटेड सार्वजनिक कार्य करती है। लेकिन, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने ऊपर जो कारण बताए हैं, और इस कारण से भी कि अगर एक पल के लिए भी मान लिया जाए कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता की कही बात को सत्य मान लिया जाए, तो भी वास्तविक तथ्य यह है कि बैंक किसी संविधि से नहीं बना है और न ही यह कोई संविधिक संस्था है, बल्कि यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनी एक कंपनी है। यह कोई सरकारी कंपनी भी नहीं है, इसके

अलावा, अगर इन सब बातों को नज़रअंदाज़ भी कर दिया जाए, तो भी वास्तविक तथ्य यह है कि यह आई.डी.बी.आई. लिमिटेड के एक कर्मचारी के स्थानान्तरण का वाद है। यह स्थानान्तरण किसी संविधिक नियम या प्रावधान से विनियमित नहीं होता है और न ही ऐसे किसी संविधिक नियम या प्रावधान के उल्लंघन के बारे में रिट न्यायालय या हमारे समक्ष उठाया गया है।

5. जहां तक अपीलकर्ता वाले के अधिवक्ता का तर्क है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने से वह बच सकता है, हमें ऐसा नहीं लगता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 केवल 'राज्य' के संदर्भ में लागू होता है, जो आई.डी.बी.आई. लिमिटेड पर लागू नहीं होता।

6. जहां तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, यह ऐसा वाद नहीं है जहां इसे लागू किया जा सके। आई.डी.बी.आई. लिमिटेड द्वारा निर्धारित की गई सेवा की शर्तों के अनुसार किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

7. जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के ए.के.नौसाद रहमान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2022) 12 एस.सी.सी 1 में प्रकाशित निर्णय का हवाला दिया गया है। उस वाद में, वादी केन्द्र सरकार का कर्मचारी था और तदनुसार, दम्पति की तैनाती और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के संबंध में की गई टिप्पणियां लागू होती हैं, जो कि यहाँ लागू नहीं हैं।

8. इन सभी कारणों से, हमें रिट न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। तदनुसार, अपील **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

11 फरवरी, 2026

अनुज सिंह